

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

अधिसूचना

राँची दिनांक- 17/01/2024

1. 04-स्था०-01/2023-ग्रा०वि०वि०-207 / सुश्री अदिति गुप्ता (गृह जिला- रामगढ़), सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगरउंटारी, गढ़वा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सुश्री गुप्ता दिनांक-23.01.2024 अथवा उसके पश्चात् उक्त अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण करेंगे।

2. 04-स्था०-01/2023-ग्रा०वि०वि०-208 / श्री सुमित कुमार मिश्रा (गृह जिला- धनबाद) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूटपानी, पश्चिमी सिंहभूम के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री मिश्रा दिनांक-23.01.2024 अथवा उसके पश्चात् उक्त अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. 04-स्था०-01/2023-ग्रा०वि०वि०-209 / सुश्री सावित्री कुमारी (गृह जिला- बोकारो) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केतार, गढ़वा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

4. 04-स्था०-01/2023-ग्रा०वि०वि०-210 / श्री अभिनव कुमार (गृह जिला- दुमका) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डण्डा, गढ़वा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

5. 04-स्था०-01/2023-ग्रा०वि०वि०-211 / श्री आशीष कुमार साहू (गृह जिला- लातेहार) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छतरपुर, पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

6. 04-स्था०-01/2023-ग्रा०वि०वि०-212 / श्री भोला पाण्डेय (गृह जिला- गिरिडीह) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचांच, कोडरमा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

7. 04-स्था०-01/2023-ग्रा०वि०वि०-213 / सुश्री आशा साहु (गृह जिला- बोकारो) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उंटारी रोड, पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।



8. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-214 /** श्री विवेक कुमार (गृह जिला- रामगढ़) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुन्दा, चतरा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार दिनांक-23.01.2024 अथवा उसके पश्चात् उक्त अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण करेंगे।

9. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-215 /** श्रीमती अमृता सिंह (गृह जिला-गिरिडीह) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्वी टुण्डी, धनबाद के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती सिंह दिनांक-23.01.2024 अथवा उसके पश्चात् उक्त अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण करेंगे।

10. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-216 /** श्री विजय कुमार मंडल (गृह जिला- जामताड़ा) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी, गोड्डा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री मंडल दिनांक-23.01.2024 अथवा उसके पश्चात् उक्त अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण करेंगे।

11. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-217 /** श्री सौरभ कुमार (गृह जिला- गोड्डा) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

12. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-218 /** श्री रितीक कुमार (गृह जिला- हजारीबाग) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुदड़ी, पश्चिमी सिंहभूम के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार दिनांक-23.01.2024 अथवा उसके पश्चात् उक्त अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण करेंगे।

13. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-219 /** श्री सौरव कुमार (गृह जिला- देवघर) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़, पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।



14. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-220 /** श्री गौरव कुमार राय (गृह जिला- देवघर) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काठीकुण्ड, दुमका के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री राय दिनांक-23.01.2024 अथवा उसके पश्चात् उक्त अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण करेंगे।

15. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-221 /** श्री विश्व प्रताप मालवा (गृह जिला- कोडरमा) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर, पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

16. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-222 /** श्री अमित कुमार पासवान (गृह जिला- पलामू) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़गड़, गढ़वा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

17. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-223 /** श्री शशि संदीप सोरेन (गृह जिला- गोड्डा) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी, गुमला के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।


श्री सोरेन दिनांक-23.01.2024 अथवा उसके पश्चात् उक्त अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण करेंगे।

18. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-224 /** श्री बरूण कुमार (गृह जिला- बोकारो) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरहसी, पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

19. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-225 /** श्री सोनाराम हाँसदा (गृह जिला- दुमका) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बांसजोर, सिमडेगा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

20. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-226 /** श्री गौतम कुमार मोदी (गृह जिला- जामताड़ा) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार/नावाडीह, पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

21. **04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-227 /** श्री अरूण कुमार मुण्डा (गृह जिला- राँची) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी, पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।



22. 04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-228 / श्रीमती नूतन मिंज (गृह जिला- गुमला) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकड़टाड़, सिमडेगा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
23. 04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-229 / सुश्री आरती मुण्डा (गृह जिला- राँची) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
24. 04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-230 / श्री संदीप कुमार (गृह जिला- राँची) सेवा प्राप्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
25. 04-स्था०-01 / 2023-ग्रा०वि०वि०-231 / श्री विजय कुमार-2 (गृह जिला- पलामू), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा, लातेहार को स्थानान्तरित करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काँके, राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्थायी आदेश सं०-2936, दिनांक-07.04.2016 के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत वैसे प्रखण्ड जहाँ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहाँ अधिसूचित/कार्यरत अंचल अधिकारी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की शक्ति नियमित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पदस्थापन तक प्रदत्त की जाती है। जिन प्रखण्डों में अंचल अधिकारी के पद रिक्त है उनमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा अंचल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।

3. उक्त स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सभी संबंधित उपायुक्त स्थानान्तरित पदाधिकारी को नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण करने हेतु विरमित कर देंगे एवं नव पदस्थापित पदाधिकारी का प्रभार आदान-प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे। नव पदस्थापित पदाधिकारी का प्रभार प्रतिवेदन दिनांक- 05.02.2024 तक विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. इस अधिसूचना के क्रम में प्रभार रहित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, राँची में योगदान करेंगे। उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है।

5. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अवध नारायण प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 04-स्था0-01 / 2023 / ग्रा0वि0-232 / राँची, दिनांक-17 / 01 / 2024

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 04-स्था0-01 / 2023 / ग्रा0वि0-232 / राँची, दिनांक-17 / 01 / 2024

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, पो0-डोरण्डा, राँची/अवर सचिव, वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 04-स्था0-01 / 2023 / ग्रा0वि0-232 / राँची, दिनांक-17 / 01 / 2024

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आप्त सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड)/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/संबंधित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/संबंधित सभी पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 04-स्था0-01 / 2023 / ग्रा0वि0-232 / राँची, दिनांक-17 / 01 / 2024

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 04-स्था0-01 / 2023 / ग्रा0वि0-232 / राँची, दिनांक-17 / 01 / 2024

प्रतिलिपि:- मनरेगा आयुक्त/सभी विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।